

प्रधक.

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखीमपुर-खीरी।

मेरा मं.

प्रबन्धक,
आरएन० इण्टरनेशनल स्कूल तिकुनियां
विकास क्षेत्र निधासन लखीमपुर-खीरी।

प्रधक. जान्यता / ५०३६-४३ / 2014-15 दिनांक २८ अगस्त, 2014
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

नटहृदय-

आपके आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखीमपुर-खीरी आपके विद्यालय को तारीख 01.07.2014 से तारीख 30.06.2017 तक, तीन वर्ष की अवधि के लिए नर्सरी से कक्षा 8 तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की राग्याभा देता हूँ।

उपरांक नंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन हैं—

१. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात मान्यता/सम्बन्धन करने के लिए कोई वापर्ता दियक्षित नहीं है।
२. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम अधिनियम-2009 (उपाबन्ध-1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2010 (उपाबन्ध-2) के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय उपाबन्ध-1 में (गा व्यापारिक) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के अभिज्ञेश वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा उसके पूरा हो जाने पर उपलब्ध करायेगा।
३. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उप धारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियों प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
४. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी रक्कीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
५. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:
 - (i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्तीर्ण के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
 - (iii) दिशा, पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (iv) शिक्षण पूरी करने याले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
६. अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तिग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
७. अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएँ नहीं हैं पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करेंगे।
८. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
९. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

26/7/14

26/7/14

26/7/14

R.N.D.N.
SCHOOL, T.L.

PRINCIPAL
Nawahar Navodaya Vidyalaya
Narainpur, Pratapgarh (U.P.)
Pin - 230144

d. Mohd. Farid
26/7/14/23. Azad Nagar, Kathiawadi
Kathiyawadi, Gujarat, India 360009

7. विद्यालय समर्थित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा।
9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ न बतायी जाएंगी।
10. विद्यालय भवभौं या अन्य संरचनाओं या कीड़ारथल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय की सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 के 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए गए सोसाइटी द्वारा या लाखमय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्लूल को किसी व्यष्टि व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं घलाया जा सकता है।
13. विद्यालय की लेखांओं की किसी चार्टड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए प्रत्येक लेखा विवरण की एवं प्रति प्रत्येक थैर्फ जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक (02) 2014 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अभेद्यता द्वारा और समुद्दित स्वरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुदेशों का पालन करने वाले भान्धता सम्बन्धी शर्तों के वित्त अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने वाले लिए जाएंगे।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए।
17. शासनादेश दिनांक 08.5.2013 में दिए गये समस्त आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय

१८

३० (३०पी०राय)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखीमपुर-खीरी

३० स० व दिनांक तारीख।

प्रतिविविध निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही इसु-

1. शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ०प्र० लेखनऊ।
2. जिलाधिकारी, लखीमपुर-खीरी।
3. राहित, उ०प्र० यैसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
4. उ०प्र० विद्या निदेशक, शिक्षा निदेशालय, उ०प्र० इलाहाबाद।
5. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) छक्क मण्डल, लखनऊ।
6. जिला समाज कल्याण/जिला अल्पसंख्यक कर्मसाधन/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण/जिला विकलांग कर्माण अधिकारी लखीमपुर-खीरी।
7. दण्ड शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय/सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, लखीमपुर-खीरी।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखीमपुर-खीरी